



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 608 राँची, सोमवार,

07 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 नवम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-112/2018-11549 (HRMS)-- श्री राम कुमार मंडल, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-637/03, गृह जिला- दरभंगा, बिहार), तत्कालीन अंचल अधिकारी, रामगढ़ के विरुद्ध उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-769/ जि0ग्रा0, दिनांक-27.08.2018 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध करवाया गया। प्रपत्र 'क' में श्री राम के विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किया गया है:-

(i) तत्कालीन अंचलाधिकारी श्री राम कुमार मंडल द्वारा अंचल निरीक्षक की अभ्युक्ति को नजरअंदाज कर बिना भूमि की जाँच कराये ही योजना प्रस्ताव की अनुशंसा की गई।

(ii) सहाय्य मद योजना के लिए ग्राम सभा में कोषाध्यक्ष के रूप में ग्रामीणों द्वारा चयनित कोषाध्यक्ष को एकरारनामा एवं कार्यादेश में बदल दिया गया।

(iii) कनीय अभियंता द्वारा ली गई मापी के आधार पर अंचलाधिकारी द्वारा योजना का अभिलेख बन्द कर दिया गया।

(vi) बिना भूमि की जाँच कराये सहाय्य मद की योजना सं0-27/2005-06 की अनुशंसा किया गया एवं कनीय अभियंता द्वारा ली गई मापी के आधार पर अंचलाधिकारी द्वारा योजना का अभिलेख बन्द कर दिया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7308, दिनांक 27.09.2018 द्वारा श्री मंडल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है। इसके अनुपालन में श्री मंडल के पत्रांक-981, दिनांक 20.10.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि आरोप निराधार एवं तथ्यों से हटकर है। श्री मंडल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8754, दिनांक 03.12.2018 द्वारा उपायुक्त, रामगढ़ से मंतव्य की माँग की गयी।

उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-695/गो0, दिनांक 29.06.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

श्री मंडल के स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, रामगढ़ से प्राप्त मंतव्य की प्रति विभागीय पत्रांक-8080, दिनांक 03.10.2019 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भेजकर विभागीय मंतव्य की माँग की गई। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-822, दिनांक 02.03.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उपायुक्त, रामगढ़ के मंतव्य एवं उनकी अनुशंसा पर विभागीय सहमति संसूचित की गई।

अतः उपायुक्त, रामगढ़ एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए श्री मंडल को इस मामले में भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAM KUMAR MANDAL BHR/BAS/2817	श्री राम कुमार मंडल, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 637/03, गृह जिला- दरभंगा, बिहार), तत्कालीन अंचल अधिकारी, रामगढ़ को इस मामले में भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
